अनु
क्रमांक

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

...सीन अधिकारीः– श्री राम सिह राजावत (आर.ए.एस.)

...कदमा नम्बरः– 296/2019

जी0सी0एम0एस0 :–2019/00739

1.जितेन्द्र पुत्र रामदेव जाति गुर्जर निवासी ग्राम पौंख तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं।

आवेदक

बनाम

1.गोकल सिंह पुत्र श्री मूल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पौंख तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं।

2.शाखा प्रबन्धक जरिये शेखावाटी ग्रामीण बैंक शाखा पौंख।

3.भूमि धारक तहसीलदार उदयपुरवाटी।

अनावेदक

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) रा0 का0 अधिनियम

निर्णय दिनांक 31.08.2021

प्रार्थी ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम पौंख पटवार हल्का पौंख की सरहद में वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 1906 रकबा 1.5800 हैक्टर अवस्थित है, जो कि प्रार्थी की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है। प्रार्थी अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि में आवागमन अप्रार्थीगण संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1905 में से होकर आवागमन करता है, जिसे इस प्रार्थना पत्र के सलंग्न नजरी नक्शा में बिन्दु ए, से बी, दर्शाया गया है। उक्त रास्ता कटाणशुदा रास्ता नहीं है लेकिन प्रार्थी के पूर्वज सैकड़ों वर्षो से इसी रास्ते से आवागमन कर रहे है। बिन्दु ए से बी की कृषि भूमि अप्रार्थीगण सख्या 1 की खातेदारी की भूमि है प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के आलावा न्युनतम दुरी पर अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी का उक्त प्रस्तावित रास्ते के आलावा प्रार्थी की भूमि में कोई वैकल्पिक एवं लघुतम रास्ता कोई नही लगता है तथा प्रार्थी को आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ते की अति आवश्यकता है। उक्त चाहे गये रास्ता को कटाणशुदा दर्ज करवाने के लिए आवेदक ने काफी बार निवेदन किया लेकिन दिनांक 16.12.2019 को अनावेदक सख्या 1 ने साफ तौर पर इंकार कर दिया।

अन्त में निवेदन किया है कि प्रार्थी की ग्राम पौंख पटवार हल्का पौंख की सरहद में स्थित अपनी कब्जाकाश्त एव खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1906 में आवागमन हेतु ग्राम पौंख पटवार हल्का पौंख के वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 1906 में से सलंग्न नजरी नक्शानुसार लाल स्याही से बिन्दु ए से बी तक दर्शाए गये रास्ते को 4 मीटर चौड़ा राजकीय रास्ता कायम किया जाना एवं राजस्व रिकार्ड में इसका अंकन किये जाने के आदेश फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

Signature Not Verified

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अनावेदकगण की तलबी ... जवाबदेही की गई। अप्रार्थी संख्या 2, 3 बावजूद तामील हाजीर नहीं अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.09.14 16:14:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूँ)

Scanned with CamScanner

में अप्रार्थीगण संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में हाजिर आए जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं सिधी बहस श्रवण करने का निवेदन किया, जो स्वीकार किया गया। प्रकरण में दिनांक 20.03.2021 को अनावेदक संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र एतराज मौका जांच रिर्पोट का पेश किया। वकील अनावेदक/आवेदक (मूल प्रार्थना पत्र में) कथन किया कि वे प्रार्थना पत्र ऐतराज मौका जांच रिर्पोट का पेश नहीं कर सिधी बहस सुनाने का निवेदन किया जो स्वीकार किया गया। प्रकरण में तहसीलदार उदयपुरवाटी से मौका जाचं रिर्पोट दिनांक 29.01.2021 को प्राप्त।

बहस प्रार्थना पत्र ऐतराज मौका जांच रिर्पोट दिनांक 25.01.2021 एवं अ0 धारा 251 (क) पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रार्थी ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम पौंख पटवार हल्का पौंख की सरहद में वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 1906 रकबा 1.5800 हैक्टर अवस्थित है, जो कि प्रार्थी की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है। प्रार्थी अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि में आवागमन अप्रार्थीगण संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1905 में से होकर आवागमन करता है, जिसे इस प्रार्थना पत्र के सलंग्न नजरी नक्शा में बिन्दु ए, से बी, दर्शाया गया है। उक्त रास्ता कटाणशुदा रास्ता नहीं है लेकिन प्रार्थी के पूर्वज सैकड़ों वर्षो से इसी रास्ते से आवागमन कर रहे है। बिन्दु ए से बी की कृषि भूमि अप्रार्थीगण सख्या 1 की खातेदारी की भूमि है प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के आलावा न्युनतम दुरी पर अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी का उक्त प्रस्तावित रास्ते के आलावा प्रार्थी की भूमि में कोई वैकल्पिक एवं लघुतम रास्ता कोई नही लगता है तथा प्रार्थी को आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ते की अति आवश्यकता है। ग्राम पौंख पटवार हल्का पौंख की सरहद में स्थित अपनी कब्जाकाश्त एव खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1906 में आवागमन हेतु ग्राम पौंख पटवार हल्का पौंख के वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 1906 में से सलंग्न नजरी नक्शानुसार लाल स्याही से बिन्दु ए से बी तक दर्शाए गये रास्ते को 4 मीटर चौड़ा राजकीय रास्ता कायम किया जाना एवं राजस्व रिकार्ड में इसका अंकन किये जाने के आदेश फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

बहस के दौराव वकील अनावेदक संख्या 1 ने कथन किया कि आवेदक की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1906 में आवागमन हेतु भूमि खसरा नम्बर 1905 में से चाहे गये रास्ते के अलावा न्युनतम दुरी पर अन्य वैकल्पिक रास्ता मौजूद है जो न्युनतम दुरी का है जो कि फर्द मौका दिनांक 25.01.2021 में लाल स्याही से डोटेड लाईन से दर्शाया गया है। आवेदक ने जहां से रास्ता चाहा है पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की दिवार है लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग को पक्षकार नहीं बनाया है। आवेदक ने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के बिन्दु ए पर पक्के मकानात व पशुघर बना हुआ है। बहस के दौरान वकील अनावेदक संख्या 1 ने अवगत करवाया कि फर्द मौका जांच दिनांक 25.01.2021 अनावेदक की अनुपस्थिति में बनाई गई अतः उक्त मौका जांच रिर्पोट का भी खारिज किया जाना प्रार्थनीय है। आवेदक ने उक्त प्रार्थना पत्र अनावेदक संख्या 1 को हैरान व परेशान करने के बदनियत से पेश किया हैं। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत वाद मय हर्जा खर्चा खारिज किया जाना प्रार्थनीय है।

पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेज, तहसीलदार उदयपुरवाटी से दिनांक 29.01.2021 को प्राप्त मौका जॉच रिर्पोट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा विद्वान वकला की बहस पर मनन किया गया। आवेदक ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जरिये ग्राम पौंख पटवार हल्का पौंख की सरहद में स्थित अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1906 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1905 में से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.09.14 16:14:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Scanned with CamScanner

...हा था। जिसे प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही से बिन्दु ए से बी दर्शाया गया ...पत्रावली पर मौजूद तहसीलदार उदयपुरवाटी से दिनांक 29.01.2021 को प्राप्त फर्द मौका के अवलोकन ... साबित है कि प्रार्थी द्वारा भूमि खसरा नम्बर 1906 में आवागमन हेतु भूमि खसरा नम्बर 1905 में से चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य रास्ता न्यूनतम दुरी का मौजूद है, जिसे डोटेड लाईन से लाल स्याही से दर्शाया गया है। पत्रावली पर मौजूद छायाचित्रों के अवलोकन से साबित है कि जहां से आवेदक ने रास्ता चाहा है वहा पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की दिवार मौजूद है लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग को पक्षकार नहीं बनाया है अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकारों को अभाव है। बहस के दौरान वकील अनावेदक ने अवगत करवाया कि आवेदक ने जहॉ से रास्ता चाहा है वहॉ पर बिन्दु पर पक्के मकानात बने हुए है। उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थना पत्र एतराज मौका जांच रिर्पोट दिनांक 25.01.2021 एवं मूल का खारिज किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

प्रार्थी गोकल सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ऐतराज मौका जॉच रर्पोट दिनांक 25.01.2021 एवं प्रार्थी जितेन्द्र द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 साबित नही होने से खारिज किया जाता है।

31.8.21

(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूँ)

निर्णय आज दिनांक 31.08.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.09.14 16:14:03 IST
Reason: SelfAttested

31.8.21

(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूँ)

Scanned with CamScanner